न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16 / 2015

प्रविष्टि दिनांक 04.09.2015

शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी जैथल्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

............प्रार्थी

बनाम

1.आशा कंवर पत्नी सांवलदान जाति चारण निवासी जैथल्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

2.भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह

............प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.01.2011

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1

निर्णय दिनांक 07/8/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 12.01.2011 को ग्राम जैथल्या तहसील टोडारायसिंह स्थित भूमि खसरा नं. 265 रकबा 0.35 हैक्टेयर व खसरा नं. 384 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल 0.68 हैक्टेयर भूमि का आवंटन करने का आदेश पारित किया है जिसे विधिविरूद्ध बताते हुए निरस्त किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षी की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी सं. 1 को आवंटन करने से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति ने मौके की वास्तविक कब्जे की स्थिति के संबंध में सही एवं निष्पक्ष रिपोर्ट प्राप्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

नहीं की तथा कोई जांच नहीं की, पटवारी द्वारा प्रस्तुत एक तरफा रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए चुपचाप आवंटन आदेश पारित कर दिया जो गैर कानूनी है।

आवंटन से पूर्व किसी प्रकार सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की, आस–पास के स्थित खेतों के काश्तकारों की सूची तैयार नहीं की गई तथा आवंटन के लिए समीपस्थ काश्तकारों की वरीयता पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के खातेदारी के खेतों के सबसे नजदीक स्थित है तथा स्माल स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिधि में आती है जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उक्त नियमों के तहत अपने पक्ष में भूमि का आवंटन प्राप्त करने का हकदार है परन्तु प्रतिपक्षी नं. 1 के पक्ष में आवंटन किया गया है।

प्रतिपक्षी नं. 1 पेशे से काश्तकार नहीं है, वह खेती करना नहीं जानती है, उसके पास खेती करने के यन्त्र/औजार भी नहीं है, वह एक सद्भावी कृषक की श्रेणी में नहीं आती है, प्रतिपक्षी नं. 1 के परिवार में उसके पति व ससुर के नाम काफी भूमियां है जिससे वह भूमिहीन काश्तकार भी नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, आवंटन हेतु आवेदन पत्र मिथ्या तौर पर प्रस्तुत किये गये है, जिससे आवंटन चलने योग्य नहीं है।

आवंटित भूमि पर गत 40–50 साल से लेकर आज तक प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, यह भूमि प्रतिपक्षी या प्रार्थी के अलावा अन्य किसी के पक्ष में आवंटन योग्य भूमि नहीं है, आवंटन के दिन यह रिक्त भूमि नहीं थी, आवंटन से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा प्रार्थी को किसी प्रकार बेदखल भी नहीं किया गया है, इस भूमि के संबंध में प्रतिपक्षी नं. 1 के हक में किया गया आवंटन एवं समस्त अपनाई गई कार्यवाही केवल मात्र कागजी है, इस कारण आवंटन चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षी नं. 1 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 12.01.2011 खारिज किया जावें।

अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.01.2011 को ग्राम जैथल्या तहसील टोडारायसिंह में स्थित भूमि खसरा नं. 265 रकबा 0.35 हैक्टेयर व खसरा नं. 384 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल 0.68 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन सही एवं तथ्यों के अनुकूल है। आवंटन आदेश दिनांक 12.01.2011 आवंटन नियमों की पालना कर पारित किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति ने राजस्व कर्मचारियों से निष्पक्ष जांच प्राप्त करके प्रतिपक्षी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार होने से आवंटन शर्तों की पालना करते हुए खुले रूप से आवंटन किया गया है। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई है। प्रार्थी का आवंटन के समय आवंटन भूमि के बाबत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आवंटन करवाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र लंबित नहीं था तथा ना ही उसकी नियमन की पत्रावली लम्बित थी।

अप्रार्थीया भूमिहीन काश्तकारपेशा महिला थी तथा अप्रार्थीया के हिस्से में 0.55 हैक्टेयर भूमि सिंचित उपलब्ध थी, जो रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है, जिससे बरवक्त आवंटन अप्रार्थीया का कश्तकार होना साबित है। न तो प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा रहा है और ना ही उसने आवंटित भूमि को काश्त की है, बल्कि आवंटित भूमि को आवंटन के पश्चात अप्रार्थीया काश्त करती आ रही है।

प्रार्थी ने आवंटन भूमि के बाबत आवंटन करवाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होवे कि प्रार्थी का कब्जा आवंटन भूमि पर आवंटन से पूर्व व उसके बाद चला आ रहा हो। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि भू-आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 12.01.2011 को ग्राम जैथल्या तहसील टोडारायसिंह स्थित भूमि खसरा नं. 265 रकबा 0.35 हैक्टेयर व खसरा नं. 384 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल 0.68 हैक्टेयर भूमि का आवंटन अप्रार्थीया सं. 1 आशा कंवर को किया था। आवेदक का कथन हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि रिक्त नहीं थी बल्कि आवेदक का कब्जा था परन्तु आवेदक ने अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए है।

आवेदक का यदि उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व किसी प्रकार का कब्जा रहा है तो आवेदक को आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था परन्तु आवेदक ने ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था।

विपक्षी संख्या 1 के भूमिहीन काश्तकार नहीं होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी 2070 से 2073 वाके ग्राम जैथलिया तह. टोडारायसिंह, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2077, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2078 में अप्रार्थी सं. 1 का उक्त भूमि का कब्जा काश्त होना सिद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 12.01.2011 को भूमि खसरा नं. 265 रकबा 0.35 हैक्टेयर व खसरा नं. 384 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल 0.68

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

हैक्टेयर वाके ग्राम जैथल्या तहसील टोडारायसिंह के किये गये आवंटन को हम निरस्त करना उचित नहीं समझते है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 12.01.2011 को किया गया भूमि खसरा नं. 265 रकबा 0.35 हैक्टेयर व खसरा नं. 384 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल 0.68 हैक्टेयर वाके ग्राम जैथल्या तहसील टोडारायसिंह का आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक